बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः योo लेo3 / 3–6 / 2023– / योoविo,पटना,दिनांक मई, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेo एवं हo), बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

विषयः **वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत जिला योजना भवन, औरंगाबाद के मरम्मती कार्य हेतु कुल ₹12,79,000 / – (बारह लाख उनासी हजार रूपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 जिला योजना भवन, औरंगाबाद के मरम्मती कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–औरंगाबाद की तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹12,79,000 / – (बारह लाख उनासी हजार रूपये) मात्र पर जिला योजना पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 2081 दिनांक 19.11.2024 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं आवंटन की मांग की गयी है। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 2225 दिनांक 02.12.2024 द्वारा राशि आवंटित की गई, जिला योजना पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक 707 दिनांक 12.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि योजना कार्यान्वियन के पश्चात कार्यकारी ऐजेंसी को राशि विमुक्ति के क्रम में कोषागार कार्यालय द्वारा कतिपय आपत्ति की गई थी। तकनीकी कारणों से उक्त आपत्ति का निराकरण ससमय नहीं होने के फलस्वरूप राशि स्वतः प्रत्यर्पित हो गई थी। पुनः जिला योजना पदाधिकारी द्वारा कार्य के विरूद्ध कार्यकारी एजेंसी का राशि विमुक्त करने हेतु ₹ 12,79,000 / – (बारह लाख उनासी हजार रूपये) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तदालोक में विपत्र कोड–35–2053000940109 के विषय शीर्ष–2702–लघु कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु निम्नांकित सारणी अंतर्गत नाम के सम्मुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए ₹12,79,000 / – (बारह लाख उनासी हजार रूपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है।

क्रo	कार्यालय का नाम	योजना का नाम	राशि
1	जिला योजना कार्यालय, औरंगाबाद	जिला योजना भवन, औरंगाबाद के पूर्व निर्मित कमरे में एल्युमीनियम पार्टीशन, छत पर स्टोर रूम का निर्माण एवं योजना भवन का रंगरोगन कार्य ।	₹12,79,000 / –
कुल			₹12,79,000 / –

(बारह लाख उनासी हजार रूपये) मात्र।

2. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 मांग संख्या–35, मुख्य शीर्ष–2053–जिला प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–094–अन्य स्थापनाएँ, उप शीर्ष–0109–योजना यंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में विपत्र कोड– 35–2053000940109 के विषय शीर्ष–2702–लघु कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मति अंतर्गत विकलनीय होगा जिसके अन्तर्गत बजट उपबंध है।

3. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–औरंगाबाद के पत्रांक 901 दिनांक 12.07.2024 से प्राप्त तकनीकी अनुमोदन के उपरांत जिला योजना पदाधिकारी,

औरंगाबाद के पत्रांक 2081 दिनांक 19.11.2024 द्वारा प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में आवंटन की स्वीकृति दी जा रही है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला योजना पदाधिकारी, औरंगाबाद होंगे।

5. उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की गयी है।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नही किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होगें।

7. राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

8. संबंधित जिला योजना पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता प्रत्येक माह योजना पर किये गये व्यय का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

9. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–

(तिलकेश्वर झा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः यो0ले03/3–6/2023– /यो0वि0,पटना,दिनांक मई, 2025

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः यो0ले03/3–6/2023– 374 (स्वी) /यो0वि0,पटना,दिनांक 20 मई, 2025

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गया/ अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मगध प्रमंडल, गया/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल– औरंगाबाद /विभागीय बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर,योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृत्यादेश को विभाग के साईट पर अपलोड करा दें।

20/05/25

सरकार के अवर सचिव